

# उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)


## U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कमरा नं० 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14  
अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
रैक्स संख्या - 8320



Room No. 320,  
IIIrd Floor, Shakti Bhawan,  
14-Ashok Marg, Lucknow-226001  
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं०: 12 /उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2018

दिनांक 25/10/2018

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी  
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

मुख्य अभियन्ता (डी०एण्डपी०)/765के०वी०/  
सी० एण्ड सी०/सी०एम०यू०टी०/जानपद (i)/(ii)  
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण  
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०  
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा

**विषय:- TDS (GST) पंजीकरण के सम्बन्ध में।**

जैसा कि अवगत है कि केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा-51 (TDS-GST) के प्रावधान, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 50/2018-Central Tax दिनांक 13.09.2018 द्वारा दिनांक 01.10.2018 से लागू हो चुके हैं, अतः दिनांक 01.10.2018 से किये जाने वाले भुगतानों पर प्राविधान अनुसार 2% TDS (GST) काटकर निर्धारित तिथि तक सरकारी कोष में किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में पूर्व में दिशा-निर्देश: 11/उ०म०प्र० (टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2018 दिनांक 26.09.2018 को जारी किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में, सम्बन्धित इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा TDS (GST) की कटौती कर, धनराशि सरकारी कोष में जमा कराया जाना तथा सम्बन्धित मासिक रिटर्न केन्द्रीयकृत रूप से मुख्यालय स्तर पर दाखिल किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है, केन्द्रीय स्तर पर TDS (GST) पंजीकरण करा लिया गया है, जिसका पंजीकरण नं० 09AAACU8823E1DI है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

0	9	A	A	A	C	U	8	8	2	3	E	1	D	I
शून्य	नौ	ए	ए	ए	सी	यू	आठ	आठ	दो	तीन	इ	एक	डी	आई

TDS (GST) के लिए अलग से चालान जनरेट किया जायेगा एवं GSTR-1 एवं GSTR-2 के चालान नियमित रूप से जनरेट होते रहेंगे। अतः भविष्य में जो भी TDS (GST) चालान जनरेट किये जाने हैं वह उपरोक्त पंजीकरण नंबर से किये जायेंगे।

TDS (GST) का Income Tax के अन्तर्गत आने वाले TDS से कोई सम्बन्ध नहीं है, TDS Income Tax पूर्ववत ही लागू होगा।

TDS (GST) की नियमानुसार सही धनराशि पर सही मद में निर्धारित दर से कटौती करना, सही मासिक विवरणी मुख्यालय को ससमय प्रेषित करना, धनराशि (चालान) सरकारी कोष में ससमय जमा कराने एवं टी०डी०एस० काटकर जमा न कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी का ही होगा। अन्यथा की स्थिति में निगम पर किसी भी प्रकार की ब्याज, दण्ड, दण्डात्मक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे।

सभी इकाईयां प्रत्येक माह TDS (GST) के सम्बन्ध में मासिक विवरणी निर्धारित प्रारूप में सही भरकर एवं चालान का भुगतान करने के उपरान्त माह समाप्त होने के 03 दिनों के अन्दर सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को प्रेषित करेंगे। इकाईयों से प्राप्त सूचना को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय जाँच व संकलन करेंगे एवं दो दिन के अन्दर मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ को प्रेषित करेंगे। सभी इकाईयों टी0डी0एस0 का भुगतान चालान के माध्यम से 03 तारीख तक जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा 18% की दर से ब्याज देय होगा। प्रारूप एवं समय सारणी निम्नवत् रहेगी:-

प्रारूप							
Sl. No.	Unit Name	GSTIN of deductee (Firm)	Trade Name	Amount Paid to deductee on which tax is deducted	Amount of Tax Deducted at Source (TDS)		
					Integrated Tax (IGST)	Central Tax (CGST)	State Tax (UPGST)
1	2	3	4	5	6	7	8
					2% of Column 5	1% of Column 5	1% of Column 5

नोट : इकाईयों द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि सम्बन्धित फर्म का GSTIN, <https://www.gst.gov.in/> पर सही पाये जाने पर ही उपरोक्त मासिक विवरणी में भरकर भेजें। पूर्व में प्रेषित अन्य मासिक विवरणी में यह पाया गया है कि फर्म का GSTIN बिना सत्यापित करे ही प्रेषित किये जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः I (आई) & 1 (One), S (एस) & 5 (Five), O (ओ) & 0 (Zero), A (ए) & 4 (Four), B (बी) & 8 (Eight), टाइप करने में त्रुटियाँ पायी गयी हैं। अतः सही GSTIN न होने पर सम्बन्धित प्रविष्टि को मासिक रिटर्न (GSTR-7) में लिया जाना सम्भव नहीं होगा जिसके लिये सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

ज्ञात हो इकाईयों द्वारा सम्बन्धित फर्म का GSTIN गलत देने की दशा में एवं उसके आधार पर रिटर्न दाखिल होने के उपरान्त गलत जमा हुए टी0डी0एस0 की राशि का किसी भी प्रकार का समायोजन/रिफण्ड नहीं किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रारूप के आधार पर इकाईयों द्वारा टी0डी0एस0 की सूचना भरने हेतु Excel Utility मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ द्वारा जल्द ही निर्गत कर दी जाएगी। इकाईयों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि Excel Utility में सूचना दैनिक रूप से भरते रहें जिससे माह के अन्त में मिलान करने में समस्या न आयें।

समय-सारणी		
क्र0सं0	विवरण	माह समाप्ति के बाद
1	इकाईयों द्वारा TDS (GST) की मासिक विवरणी परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को भेजने एवं चालान जमा कराने की अन्तिम तिथि	01 से 03 तारीख तक
2	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा सूचना की जाँच करना एवं संकलित कर मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि	05 तारीख तक
3	जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रकार की मास्टर फाइल तैयार करना, जमा कराये गये चालानों का पोर्टल से मिलान करना, विभिन्न तैयार फाइलों को GST Utility में भरना, उसमें आयी त्रुटियों को सुधारना एवं GST Utility से जनरेट हुयी फाइल को जी0एस0टी0 पोर्टल पर अपलोड करना	08 से 07 तारीख तक
4	जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल पर अपलोड की गयी फाइल में आयी त्रुटियों को डाउनलोड करना, सुधारना एवं पुनः पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया एवं अन्य इत्यादि कार्यो को करते हुये GSTR-7 दाखिल करना।	10 तारीख तक

उपरोक्त प्रक्रिया के सुचारु क्रियान्वयन में परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों की अहम भूमिका है, अतः परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय अपने स्तर से उपरोक्त प्रक्रिया के सुचारु क्रियान्वयन के लिए इकाईयों को व्यवहारिक निर्देश दे सकते हैं जिसकी एक प्रति मुख्यालय को भी उपलब्ध करा दें।

अन्य निगमों द्वारा UPPTCL के GST-TDS काटे जाने के सम्बन्ध में:-

GST-TDS के प्रावधान सभी सरकारी निगमों/विभागों पर भी लागू है, अतः दिनांक 01.10.2018 के बाद यदि किसी अन्य सरकारी निगम/विभाग द्वारा UPPTCL को भुगतान करते समय GST-TDS काट लिया गया है, तो सम्बन्धित इकाई द्वारा GST का भुगतान GST-TDS की राशि से कम हो जायेगा। उदाहरण के तौर पर:-

UPPTCL द्वारा निर्गत बीजक की राशि	100
+18%GST	18
	118
अन्य निगम/विभाग द्वारा काटा गया GST-TDS (@2% of Rs. 100)	2
UPPTCL को प्राप्त राशि	116
इकाई द्वारा Revenue में ले जाने वाली राशि	100
इकाई द्वारा GST सरकार के खाते में जमा कराये जाने वाली राशि	16

\* उपरोक्त उदाहरण में Income Tax TDS को Consider नहीं किया गया है। Income Tax TDS पूर्व यथावत रहेगा।

उपरोक्त उदाहरण के अनुसार इकाई को सिर्फ Rs. 16 GST सरकार के खाते में जमा कराना है एवं Rs. 2 GST-TDS की सूचना GSTR-1 एवं GSTR-3B के साथ उपलब्ध करानी होगी। ज्ञात हो ऐसे प्रकरण जहां इकाई द्वारा GST जमा कराने का दायित्व एवं अन्य विभाग/निगम द्वारा GST-TDS काटने का माह भिन्न है, ऐसे प्रकरणों में इकाई द्वारा पूर्ण GST राशि (उपरोक्त उदाहरण अनुसार Rs.18) जमा कराया जायेगा, एवं बाद में जब अन्य निगम/विभाग काटे गये TDS का रिटर्न दाखिल करेगा तथा TDS-Certificate उपलब्ध करायेगा, उस माह में GST-TDS का लाभ लिया जा सकेगा एवं उस माह की GST-TDS की देयता से समायोजित किया जा सकेगा।

(ए० के० गुप्ता)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

पत्र सं०: /उ०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2017-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि०/एस०एल०डी०सी०/वाणिज्य एवं नियोजन उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
- 5- उप महाप्रबन्धक (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अधिशाषी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए० के० गुप्ता)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)